



INDIAN RIVER COUNCIL
भारतीय नदी परिषद

Yamuna River New Delhi




Raman Kant
CEO
Indian River Council





यमुना नदी

यमुना नदी गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है जोकि उत्तराखण्ड के यमुनोत्री (उत्तरकाशी, से ३० किमी उत्तर, गढवाल में) नामक जगह से निकलती है और प्रयाग (प्रयागराज) में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चम्बल, सेंगर, छोटी सिन्धु, बेतवा और केन प्रमुख हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली और आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य है। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। यमुना की कुल लम्बाई करीब 1376 किलोमीटर है।





INDIAN RIVER COUNCIL
भारतीय नदी परिषद



यमुना जी की प्राचीन मूर्ति




यमुना की 5वीं सदी की टेराकोटा मूर्ति



यमुना नदी की रत्नागिरी में 10वीं सदी की मूर्ति


परिचय

यमुना नदी उत्तराखण्ड राज्य के यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। यमुना का उद्गम स्थान हिमालय के हिमाच्छादित बंदरपुच्छ में करीब ऊँचाई 6200 मीटर से 7 से 8 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित कालिंद पर्वत है, जिसके नाम पर यमुना को कालिंदजा अथवा कालिंदी कहा जाता है। अपने उद्गम से आगे कई मील तक विशाल हिमगारों और हिम मंडित कंदराओं में अप्रकट रूप से बहती हुई तथा पहाड़ी ढलानों पर से अत्यन्त तीव्रतापूर्वक उतरती हुई इसकी धारा यमुनोत्तरी पर्वत (20,731 फीट ऊँचाई) से प्रकट होती है।






INDIAN RIVER COUNCIL भारतीय नदी परिषद




दिल्ली और यमुना का इतिहास

- सन् 1120 में तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने जो दिल्ली बसाई थी वह आज सूरजकुण्ड हरियाणा में है।
- सन् 12
- सन् 1502 में मेहरौली अर्थात किला राय पिठौरा सल्तनत काल की पहली राजधानी बनी जोकि यमुना नदी से 18 किलोमीटर दूर थी। यहां यमुना का पानी न आने के कारण अलतुतमिश ने हौज-ए-सुल्तानी जैसा विशाल सरोवर बनवाया।
- मुगल बादशाह शाहजहां के वास्तुकार मर्दन खां ने फारसी वास्तुकारों के साथ मिलकर लाल किले को ठण्डा करने के लिए एक नहर 'नहरे बिहश्त' बनाई, जिसे कि सिमौर की पहाडियों से आने वाली दूसरी नहर में जोड़ दिया गया।



दिल्ली में यमुना का गौरव

- कभी यमुना लालकिले के पास से होकर बहती थी।
- राजघाट के आस-पास यमुना की दलदली भूमि में कभी विदेशी पक्षी आया करते थे।
- नदी के दाहिने तट पर बड़ी इमारतें, मन्दिर व घाट मौजूद रहे हैं।
- यमुना किनारे के अखाड़े सामाजिक गतिविधियों के बड़े केन्द्र थे।
- संत, पीर व ध्यान लगाने वाले यहां आया करते थे।
- यहां तैराकी भी सिखाई जाती थी। एक समय जंगला सिंह तैराक संघ के 5000 से भी अधिक सक्रिय सदस्य हुआ करते थे।



महत्वपूर्ण तथ्य

- 1889 में चन्द्रावल में दिल्ली को पेयजल सप्लाई पहुंचाने के लिए कुएं खोदे गए थे और यहां पानी जमा किया जाता था।
- 1925 में वजीराबाद में यमुना नदी पर बांध बनाया गया जिससे कि दिल्ली को यमुना का पानी दिया जा सके।
- 1957 में दूसरा बांध यमुना नदी पर नजफगढ़ नाले के यमुना में मिलने के स्थान पर बनाया गया।
- 1984 तक दक्षिण दिल्ली की बस्तियों को ओखला जल शोधन संयंत्र से पानी मिलता था, लेकिन हैजा व पीलिया जैसी महामारियों के कारण दिल्ली नगर-निगम ने यह जलापूर्ति को रोक कर उसे भागीरथी जल आपूर्ति योजना से जोड़ना पड़ा।



दिल्ली में जलापूर्ति


- दिल्ली में जलापूर्ति तीन स्थानों उत्तर दिल्ली में वजीराबाद और चन्द्रावल, पश्चिमी दिल्ली में हैदरपुर और पूर्वी दिल्ली में भगीरथी से होती है।
- मुरादनगर नहर से आने वाला पानी पहले यमुना पार की बस्तियों में ही भेजा जाता था लेकिन अब यह दक्षिणी दिल्ली को भी दिया जा रहा है।
- दिल्ली में भाखड़ा नांगल बांध के माध्यम से रावी, सतलज व व्यास नदियों का पानी भी आता है।
- आज दिल्ली पानी के लिए पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश पर निर्भर है।



INDIAN RIVER COUNCIL
भारतीय नदी परिषद

दिल्ली में यमुना नदी

- कुल लम्बाई – 48 किलोमीटर
- वजीराबाद से ओखला तक
- यमुना में गिरने वाले कुल नाले – 19
- प्रतिदिन उत्पादित लाखों टन सीवेज, उद्योगों का वेस्ट व कृषि बहिष्प्राव आता है।



यमुना नदी पुनर्जीवन

वर्तमान में यमुना नदी की तीन प्रमुख समस्याएं हैं।

- पानी की कमी
भूजल स्तर नीचे जाने के कारण।
- प्रदूषण
उद्योगों द्वारा
घरेलु बहिस्त्राव
कृषि बहिस्त्राव
- अतिक्रमण
कच्चा व पक्का अतिक्रमण।



यमुना नदी पुनर्जीवन के कार्य संचालन हेतु

मण्यलायुक्त की अध्यक्षता में नदी पुनर्जीवन समूह का गठन

- संबंधित उपजिलाधिकारी
- संबंधित बी०डी०ओ०
- सिंचाई विभाग
- कृषि विभाग
- भूगर्भ जल विभाग
- लघु सिंचाई विभाग
- वन विभाग
- भूमि संरक्षण विभाग
- प्रदूषण नियंत्रण विभाग



नदी कार्यक्षेत्र

- नदी जल संग्रहण क्षेत्र। उद्गम व बहाव से दो-दो किलोमीटर की दूरी।

नदी किनारे निवास न करें

तीराश्वव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते ।।

तीरं त्यक्तवा वसेत्क्षेत्रे तीरे वासो न चेष्यते ।

नारदपुराण, उत्तराखण्ड, अध्याय 42, श्लोक 111,120

अर्थात् नदी तट से एक गव्यूति तक के भाग में निवास न करें। एक गव्यूति
अर्थात् 2 कोस अर्थात् 6 किलोमीटर।

- इन सभी गतिविधियों में नदी किनारे बसे गांवों व बस्तियों का सहयोग अति आवश्यक है।
- तुरन्त प्रभाव वाले कार्य व दूरगामी प्रभाव वाले कार्य।

रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल

यह एक बहुत सरल मॉडल है। इसमें सुझाए गए उपायों से कुछ के नतीजे तुरन्त दिखने लगते हैं तथा कुछ के नतीजे दीर्घकालिक होते हैं। इस मॉडल को अपनाकर पांच से दस वर्षों में कोई भी छोटी व बरसाती नदी पुनः पुनर्जीवित हो सकती है। इस मॉडल से नदी पुनर्जीवन के साथ-साथ नदी किनारे बसे समाज के बीच भी खुशहाली आएगी। इस मॉडल को लागू करने के लिए जहां नदी महत्वपूर्ण हिस्सा है वहीं उसके दोनों किनारों से एक-एक किलोमीटर की दूरी की गतिविधियां भी अत्यंत प्रभावकारी होती हैं। इस मॉडल में सुझाए गए कार्य समाज व सरकार के सामुहिक प्रयास व सहयोग से ही सफल हो सकते हैं।

रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल

- नदी का ज्ञान
- नदी भूमि का चिन्हांकन
- नदी उद्गम का पुनर्जीवन
- तरल-ठोस कचरा प्रबंधन
- नदी धारा की सफाई
- जन-जागरूकता
- तालाब संरक्षण
- सघन वनीकरण
- रसायनमुक्त कृषि
- छोटे बांधों का निर्माण



नदी का ज्ञान

काम से पहले नदी का ज्ञान।
तभी बनेंगे नदी के काम।।

हमें जिस नदी के सुधार अथवा पुनर्जीवन का कार्य प्रारम्भ करना है, सबसे पहले उस नदी की निम्नलिखित जानकारियां होनी आवश्यक हैं।

- नदी का इतिहास (जनश्रुतियां व वैज्ञानिक पक्ष)
- नदी का सामाजिक व धार्मिक महत्व
- नदी से संबंधित सभी दस्तावेज (सरकारी / गैर-सरकारी)
- नदी उद्गम का ज्ञान
- नदी की लम्बाई व बहाव क्षेत्र की जानकारी
- नदी में पानी की स्थिति
- नदी की वर्तमान समस्या

इसमें भी सर्वप्रथम नदी उद्गम को सही तरीके से जानना आवश्यक है। प्रत्येक बरसाती नदी के बहने का माध्यम भूजल व सतही जल दोनों के मिलने का परिणाम होता है। सतही जल उस स्थान पर भूजल के साथ मिलता रहा है जहां भूजल का स्तर सर्वाधिक (चौया आना अर्थात जमीन की सतह पर पानी के बुलबुले बनना) होता है। अर्थात यह क्षेत्र का सबसे अधिक निचला व जल भराव वाला स्थान होता है। जिन स्थानों पर सघन रूप में जल भराव की स्थिति पैदा होती रही है ऐसा स्थान ही बरसाती नदी के उद्गम स्थल के रूप में विकसित होता है। पिछले लगभग 4 से 5 दशक पूर्व तक बरसाती नदियों के उद्गम पानीदार व अतिक्रमणमुक्त रहे हैं। जैसे-जैसे भूजल का स्तर नीचे जाता रहा तो वहां स्थानीय निवासियों ने खाली भूमि जानकर अतिक्रमण कर लिया और यही कारण रहा कि धीरे-धीरे बरसाती नदियों के उद्गम स्थल कब्जायुक्त होते चले गए।

नदी भूमि का चिन्हांकन

नदी होगी जब कब्जामुक्त।
तभी बनेगी पानी युक्त।।

अधिकतर बरसाती नदियों के किनारे की भूमि किसी न किसी प्रकार में कब्जायुक्त है। जहां से कोई भी बरसाती नदी प्रारम्भ होती है या तो वहां कोई तालाब, झील, सरोवर, खाली स्थान या फिर कृषि कार्य होता हुआ मिलेगा। नदी उद्गम से आगे नदी बहाव की कुल लम्बाई में भी नदी के दोनों किनारे अतिक्रमित ही मिलेंगे। कहीं किसानों ने अपने खेत नदी से मिलाकर बना लिए हैं तो कहीं किसी अन्य ने नदी भूमि को कब्जाया हुआ है। कहीं-कहीं तो जहां नदी के बहाव का क्षेत्रफल अधिक है वहां नदी के अन्दर भी किसान कृषि कार्य करने लगते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से नदी उद्गम की भांति ही नदी बहाव क्षेत्र के दोनों ओर की भूमि को भी कब्जामुक्त कराना आवश्यक है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर तथा नदी की उचित जानकारी देकर नदी उद्गम व नदी बहाव क्षेत्र की भूमि का चिन्हांकन कराया जाना चाहिए। नदी की लम्बाई का कुल क्षेत्र किन-किन जनपदों से होकर बहता है? उसके अनुसार नदी बहाव के प्रत्येक जनपद में यह कार्य अलग-अलग जनपदों के प्रशासन के माध्यम से ही कराना होगा। नदी के दोनों किनारों पर नदी भूमि की पैमाइस करके उसका चिन्हांकन किया जाना चाहिए। अगर संभव हो तो चिन्हित की गई नदी भूमि पर पिलर/खम्बे लगा देने चाहिए।



INDIAN RIVER COUNCIL
भारतीय नदी परिषद्

नदी उद्गम का पुनर्जीवन

उद्गम पर जब पानी होगा।

नदी में तब ही बहाव बनेगा।।

किसी भी नदी की जननी उसके उद्गम स्थल पर मौजूद पानी होता है, इसीलिए आवश्यक है कि नदी का उद्गम स्थल पानीदार हो। नदी उद्गम को पुनर्जीवित करने का प्रयास सबसे पहले किया जाना चाहिए। इस कार्य को निम्न प्रकार से कर सकते हैं।

- राजस्व अभिलेखों, गजेटियर व अन्य संबंधित अभिलेख के अनुसार नदी के उद्गम स्थल का चिन्हांकन करना।
- नदी उद्गम स्थल का निरीक्षण करना। नदी उद्गम स्थल की जितनी भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है क्या उतनी भूमि मौके पर मौजूद है? इसके लिए संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी/तहसीलदार से नदी उद्गम स्थल की भूमि की पैमाइस करानी होगी। इस कार्य हेतु संबंधित क्षेत्र के उच्च अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों व जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी लिया जा सकता है। अगर नदी उद्गम स्थल की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है तो यह भी तहसील की टीम के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा।
- नदी उद्गम भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो पहला कार्य उस अतिक्रमित भूमि को कब्जामुक्त कराना होगा।
- नदी उद्गम स्थल पर कहीं से भी किसी भी प्रकार का घरेलू बहिष्काव या फिर उधोगों का गैर-शोधित तरल कचरा तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो सर्वप्रथम स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग की मदद लेकर इस प्रदूषण पर रोक लगानी होगी अथवा उसका उचित समाधान करना होगा।
- नदी उद्गम स्थल पर यदि न तो किसी प्रकार का अतिक्रमण है और न ही किसी प्रकार का प्रदूषण वहां आ रहा है तो ऐसे में कार्य तुरंत प्रारम्भ किया जाना चाहिए।
- मान लिया जाए कि अगर नदी उद्गम स्थल की 10 हेक्टेयर भूमि है तो चारों ओर दस मीटर की पट्टी छोड़ते हुए वहां करीब 8 से 10 मीटर गहराई की झील का निर्माण करना चाहिए। झील में बरसात का पानी चारों ओर से आ सके इसके लिए पट्टी के नीचे से पानी आने के रास्ते बनाना आवश्यक है। नदी उद्गम की भूमि पर ही तय होगा कि वहां किस प्रकार की झील, तालाब व बांध बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हम स्थानीय लघु सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग अथवा किसी विषय विशेषज्ञ से भी सलाह ले सकते हैं।

तरल-ठोस कचरा प्रबंधन व सफाई

नदी में न जाए कचरा-बहिष्प्राव।
निर्मल बनेगा नदी बहाव।।

इस कार्य में किसी भी सामाजिक संगठन या नदी के लिए कार्य करने वाले अन्य समूहों का कार्य सीमित होता है, क्योंकि घरेलु व उद्योगों के बहिष्प्राव को रोकना एक जटिल प्रक्रिया है जिसको कि सरकार ही कर सकती है। इस कार्य में जहां बहुत अधिक नियम-कायदे इस्तेमाल होते हैं वहीं इसका आर्थिक बोझ भी अधिक होता है। ऐसे में सामाजिक संगठन या समूह जिन गांवों के गंदे पानी का बहाव नदी में जाता है उसे रोकने के लिए प्राकृतिक जल शोधन पद्धतियों को इस्तेमाल करने में गांव की मदद कर सकते हैं।

हालांकि इस कार्य में गांवों की कम जबकि कस्बों व शहरों की भागीदारी अधिक होगी, लेकिन इसके लिए जागरूकता का कार्य गांवों में भी किया जाना चाहिए। जहां शहरों व कस्बों से निकलने वाले तरल व ठोस कचरे का प्रबंधन करना होगा वहीं नदी में किसी भी माध्यम से अपना तरल व ठोस कचरा उड़ेलने वाले उद्योगों पर लगाम कसनी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। प्रत्येक उद्योग में ई0टी0पी0 लगा हो तथा वह सही तरीके से संचालित हो, यह सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक शहर व कस्बे में तरल कचरे के लिए एस0टी0पी0 व ठोस कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नदी का प्रवाह अविरल व निर्मल बने इसके लिए उसके बहाव के रास्ते का साफ होना भी आवश्यक है। नदी की धारा अथवा प्रवाह के रास्ते की गंदगी को एक बार पूर्णतः साफ करना बहुत आवश्यक है।

तरल-ठोस कचरा प्रबंधन व सफाई

नदी में न जाए कचरा-बहिस्त्राव।

निर्मल बनेगा नदी बहाव।।

इस कार्य में किसी भी सामाजिक संगठन या नदी के लिए कार्य करने वाले अन्य समूहों का कार्य सीमित होता है, क्योंकि घरेलु व उद्योगों के बहिस्त्राव को रोकना एक जटिल प्रक्रिया है जिसको कि सरकार ही कर सकती है। इस कार्य में जहां बहुत अधिक नियम-कायदे इस्तेमाल होते हैं वहीं इसका आर्थिक बोझ भी अधिक होता है। ऐसे में सामाजिक संगठन या समूह जिन गांवों के गंदे पानी का बहाव नदी में जाता है उसे रोकने के लिए प्राकृतिक जल शोधन पद्धतियों को इस्तेमाल करने में गांव की मदद कर सकते हैं।

हालांकि इस कार्य में गांवों की कम जबकि कस्बों व शहरों की भागीदारी अधिक होगी, लेकिन इसके लिए जागरूकता का कार्य गांवों में भी किया जाना चाहिए। जहां शहरों व कस्बों से निकलने वाले तरल व ठोस कचरे का प्रबंधन करना होगा वहीं नदी में किसी भी माध्यम से अपना तरल व ठोस कचरा उड़ेलने वाले उद्योगों पर लगाम कसनी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। प्रत्येक उद्योग में ई0टी0पी0 लगा हो तथा वह सही तरीके से संचालित हो, यह सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक शहर व कस्बे में तरल कचरे के लिए एस0टी0पी0 व ठोस कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। नदी का प्रवाह अविरल व निर्मल बने इसके लिए उसके बहाव के रास्ते का साफ होना भी आवश्यक है। नदी की धारा अथवा प्रवाह के रास्ते की गंदगी को एक बार पूर्णतः साफ करना बहुत आवश्यक है।

नदी धारा की सफाई

नदी मार्ग जब साफ होगा।
तभी अविरल नीर बहेगा।।

किसी भी नदी के बहाव को बनाने के लिए उसके बहाव क्षेत्र के मुख्य मार्ग की सफाई अनवार्य होती है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी नदियों के बहाव क्षेत्र गंदगी से अटे रहते हैं या फिर उन पर अवैध अतिक्रमण कर लिया जाता है। ऐसे में हमें नदी बहाव के क्षेत्र को दोनों किनारों व तली से भी साफ करना चाहिए। नदी बहाव का जितना क्षेत्र जिस गांव/कस्बे/शहर की सीमा में आता है उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी उसी की तय करके इस कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। नदी से निकलने वाली गंदगी को नदी के किनारों पर नहीं डालना है बल्कि नदी से इतनी दूर डालना चाहिए जिससे कि वह किसी भी माध्यम से पुनः नदी में न आने पाए।



जन जागरूकता

गांव—गांव जब हाथ बढेंगे।
नदी सुधार के काम बनेंगे।।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी के गांवों, कस्बों व शहरों में नदी के प्रति जन—जागरूकता के कार्य को बढ़ावा दिया जाना होगा। इसमें जहां नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, स्कूलों में प्रतियोगिताएं, एक गांव से दूसरे गांव यात्राएं, नुक्कड़ सभाएं व जन—जागरूकता गौष्ठियां प्रमुखता से किए जाने चाहिए। एक आम नागरिक अपनी नदी पुनर्जीवन के लिए जो भी कार्य कर सकता है, उन सब कार्यों की जानकारी जन—जागरूकता के माध्यम से गांव/कस्बे/शहर तक पहुंचानी होगी। जन—जागरूकता का ऐसा कार्यक्रम संचालित करना होगा जिससे कि सभी नदी किनारे के वासी नदी के प्रति अपना फर्ज निभाने को राजी हो जाएं। गांववासियों के बीच उन सभी विषयों की जन—जागरूकता करनी होगी जो भी नदी पुनर्जीवन के लिए आवश्यक हैं। जिसमें कि रयासनमुक्त कृषि, पौधारोपण, तालाब संरक्षण, पानी का संतुलित इस्तेमाल, कचरा निस्तारण व साफ—सफाई प्रमुख विषय हैं।



सघन वनीकरण

नदी किनारा रहे न खाली।
पेड़ करें उसकी रखवाली।।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर के दायरे में नदी व चारागाह आदि की भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। इसमें नदी किनारों पर ऐसे पौधे रोपित किए जाने चाहिए जोकि पानी को अपनी जड़ों में एकत्र करें तथा कटान को भी रोकें। एक किलोमीटर के इस दायरे में आने वाले गांवों में किसानों को बाग लगाने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जानी चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक किसान अपनी कृषि भूमि पर बाग लगा सकें। ऐसा करने से जहां कुछ वर्षों में अधिक वर्षा होने लगेगी वहीं भूजल स्तर भी ऊपर उठेगा जोकि नदी को निर्मल व अविरल बहने में मदद करेगा। सघन वनीकरण के कार्य में स्थानीय वन विभाग, स्थानीय समाज तथा सामाजिक संगठनों का भरपूर सहयोग लेना चाहिए।



तालाब संरक्षण

कस्ला-गैती आओ उठाएं।
अपना तालाब स्वच्छ बनाएं।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी तक के गांवों में तालाब जब साफ-स्वच्छ व पानी से भरे होंगे तो जहां गांव का भूजल स्तर ऊपर उठेगा वहीं जब भूजल में मौजूद प्रदूषण की मात्रा धीरे-धीरे कम होती जाएगी। भूजल स्तर ऊपर आने से नदी को बहने में आसानी होगी, क्योंकि नदी भूजल व सहती जल दोनों से मिलकर बहती है। नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी के दायरे के सभी गांवों के तालाबों का राजस्व रिकार्ड के आधार पर चिन्हांकन करके उनको पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। अगर नदी किनारे कोई झील अथवा सरोवर आदि है तो उसको भी पुनर्जीवित करना आवश्यक है। नदी किनारे कोई ऐसी सरकारी भूमि पड़ी हो जहां पर तालाब का निर्माण किया जा सके तो ऐसा भी स्थानीय प्रशासन के सहयोग से करना चाहिए।





INDIAN RIVER COUNCIL
भारतीय नदी परिषद्

रसायनमुक्त कृषि

फसल होगी जब रसायन मुक्त।
नदी बहेगी तब गुण युक्त।

नदी के दोनों किनारों से एक किलोमीटर की दूरी तक की कृषि को रसायनमुक्त करना होगा। किसी भी फसल में किसी भी प्रकार के रसायन व कीटनाशकों को इस्तेमाल बंद करके वहां प्राकृतिक तरीकों से कृषि का कार्य करना होगा। इससे जहां फसल उत्पाद शुद्ध व पौष्टिक होंगे वहीं कृषि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। हरित क्रांति के बाद से लगातार उपयोग हो रहे रसायनों के कारण उनके कण धीरे-धीरे रिसते हुए भूजल तक जा पहुंचे हैं। रसायनमुक्त कृषि से भूजल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा तथा जो रसायनों व कीटनाशकों के तत्व सिंचाई के पानी या वर्षाजल के साथ बहकर नदी में चले जाते थे, उनकी भी रोकथाम होगी। इस कार्य में संबंधित जनपद की कृषि संबंधी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है।



छोटे बांधों का निर्माण

जब बांध बनेगा धारा पर ।

तब भरेगा नदी का घट ।

जब नदी में तरल व ठोस कचरे का निस्तारण पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाता है तो उसमें परिस्थिति अनुसार निश्चित दूरी पर छोटे-छोटे बांधों का निर्माण करना चाहिए। जहां नदी में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है वहां निश्चित ही छोटे बांध बनाए जाने चाहिए। इन बांधों के माध्यम से जहां हम नदी की सतह पर पानी बनाए रखेंगे वहीं उसको भूजल में भेजने में भी कामयाब होंगे। इससे स्थानीय निवासियों, पक्षियों व जानवरों आदि को भी पानी उपलब्ध होगा। नदी पर बांध बनाने का कार्य बांधों के प्रकार व दूरी स्थानीय लघु सिंचाई विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, सिंचाई विभाग या विषय विशेषज्ञ से तकनीकी सहयोग पाकर ही करने चाहिए।

नोट : जिस नदी पर उपरोक्त 10 मूल तत्वों के यदि 80 प्रतिशत कार्य भी पूर्ण कर लिए जाते हैं तो वह नदी 5 से 10 वर्षों में अपने अस्तित्व में पुनः लौट आएगी। सभी 10 तत्वों को लागू करने हेतु नदी विशेष के लिए एक विस्तृत रूप रेखा तैयार करना आवश्यक है।



मेरी नदी—मेरी पहल का प्रारूप

मेरी नदी—मेरी पहल नदी में एक केंद्रीय कमेटी का गठन किया जाता है। नदी बहाव क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में एक जनपदीय कमेटी का गठन किया जाता है। नदियों के एक—एक किलोमीटर दूर तक दोनों किनारों के प्रत्येक गांव/कस्बा/शहर में एक गांव कमेटी बनाई जाती है। केंद्रीय, जनपदीय व गांव/कस्बा/शहर, प्रत्येक में पांच—पांच सदस्य होते हैं। केंद्रीय स्तर पर दो सदस्यों की एक मीडिया कमेटी का गठन किया जाता है। जनपदीय व मीडिया कमेटी का चयन केंद्रीय कमेटी द्वारा किया जाएगा तथा गांव/कस्बा/शहर कमेटियों का चयन केंद्रीय व संबंधित गांव के जनपद की जनपदीय कमेटी की सहमति से किया जाएगा। सभी कमेटियों के सभी सदस्य सामाजिक भावना रखने वाले, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले, विषय—विशेषज्ञ व सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे जोकि अवैतनिक होंगे। इन कमेटियों के आधार पर ही नदी की एक परिषद् का गठन किया जाता है। इस नदी परिषद् के माध्यम से नदी सुधार के अधिकार कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं।

मेरी नदी—मेरी पहल के स्वयं—सेवक

इस कार्यक्रम के तहत नदी के किनारे के गांवों में मेरी नदी—मेरी पहल के स्वयं सेवक नियुक्त किए जाते हैं। स्वयं—सेवक कोई भी वह आमजन बन सकता है जो यह मानता हो कि वह अपनी नदी के लिए कुछ सहयोग करना चाहता है। ये स्वयं सेवक कहीं से भी और किसी भी प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं। कोई भी स्वयं—सेवक नदी के संरक्षण में योगदान हेतु अपनी योजना मेरी नदी—मेरी पहल की केंद्रीय समिति के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ये स्वयं सेवक ही नदी के वास्तविक रक्षक होंगे। ये स्वयं सेवक नदी संरक्षण के प्रत्येक कार्य में सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। समय—समय पर सुविधानुसार स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं जबकि एक वार्षिक सम्मेलन अनिवार्य है। स्वयं सेवकों द्वारा गांव/कस्बा/शहर, जनपद व केंद्रीय समिति के सहयोग से रमन नदी पुनर्जीवन मॉडल के सभी कार्य किए जाएंगे।

यह देखा गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने स्तर से नदी, पानी, गांव, खेती, स्वास्थ्य व पशुओं आदि के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हुई हैं। सभी समस्याओं से संबंधित विभाग जनपद, तहसील व ब्लॉक स्तर पर मौजूद हैं लेकिन फिर भी नदियों का ढांचा छिन्न-भिन्न हो रहा है। इसके पीछे चार मुख्य कारण निम्न हैं।

- योजनाओं का जमीनी स्तर पर सही से लागू न हो पाना।
- स्थानीय लोगों को योजनाओं की जानकारी न होना।
- सरकारी विभागों द्वारा अपने कार्य को ठीक प्रकार से न करना।
- व्याप्त भ्रष्टाचार।

किसी भी नदी के पुनर्जीवन का कार्य करने के लिए स्वयं-सेवकों को बस करना यही है कि जो भी सरकारी योजनाएं गांवों में संचालित हैं, उनकी सम्पूर्ण जानकारी करके उनमें से नदी के दस मूल मंत्रों से संबंधित योजनाओं को धरातल पर लागू करा दिया जाए। ऐसा करने से ही हम अपनी नदी का भला कर लेंगे।

मेरी नदी—मेरी पहल के प्रचार माध्यम

इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभिन्न प्रचार माध्यमों की सहायता ली जा सकती है। इसमें फेसबुक, ट्वीटर, मोबाइल एप, पोर्टल, वेबसाइट, लोगो, मुखपत्र (हिन्दी—अंग्रेजी—स्थानीय भाषा), पम्पलेट, पर्चे, स्टीकर, बैनर, दीवार लेखन व डाक्यूमेंट्री फिल्म आदि।

East Kali River Revival

 **Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR**

3 Jul • 🌐

काली नदी पुनर्जीवन के कार्य का पहला बदलाव दिखने लगा है। कार्य अनवरत जारी है। प्रस्तुत है पहले व आज की तस्वीर।

Before



Now



The Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR shared the recent success of Raman Kant Tyagi, the **Hindon River Waterkeeper** (Uttar Pradesh, India) and prior **East Kali River Waterkeeper**, who restored the East Kali River from a swamp into a river.



Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, RD & GR

9 Aug • 🌐

Under the leadership of Mr. Surendra Singh, Divisional Commissioner, Meerut, the rejuvenation of the East Kali River has been c...
See more

See translation





INDIAN RIVER COUNCIL
भारतीय नदी परिषद


NEEM River Revival





INDIAN RIVER COUNCIL
भारतीय नदी परिषद

Hindon River Revival



Natural Environmental Education & Research Foundation

1st Floor, Samrat Shopping Mall, Garh Road,
Meerut (UP) - 250004

Contact: +91 94116 76951

email. raman4neer@gmail.com

web. www.theneerfoundation.org

web. eastkaliriverwaterkeeper.org

web. hindonriverwaterkeeper.in



email. theneerfoundation@gmail.com



[raman.tyagi.378](#)

[theneerfoundation](#)

Youtube. NEERFoundation



RAMAN KANT TYAGI (NADIPUTRA) @NGO_NEER